भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1649

उत्तर देने की तारीख : 28.11.2019

एमएसएमई के लिए निर्धारित क्रेडिट वृद्धि लक्ष्य

1649. श्री डी.एम. कतीर आनंदः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए निर्धारित वार्षिक ऋण वृद्धि लक्ष्यों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुख्य रूप से बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को उधार न देने की इच्छा के कारण क्रेडिट विकास लक्ष्य पूरे नहीं हुए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में एमएसएमई क्षेत्र की सुरक्षा और सहायता के लिए क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए ऋण का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19
राशि (**करोड़ रु. में**)	828933.42	864597.79	880032.90

सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण देने के लिए औपचारिक रूप से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए कई पहलें की गई हैं। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर), क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी-प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), खरीद एवं विपणन योजना (पीएमएस) आदि जैसी योजनाएं/कार्यक्रम शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) भी एमएसएमई को विपणन, वित्त, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं सहित एकीकृत सहयोग सेवाएं उपलब्ध कराता है।

*****